# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

**प्रकरण सख्या – 154/2025 (प्रार्थना पत्र)**
**दायर दिनांक – 18/12/2025**
**निर्णय दिनांक – 18/12/2025**

**अनवान**

1. मीठुलाल पिता सोराम जाति गुर्जर निवासी हदवा का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**: : निर्णय : :**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम हदवा का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 45, 46, 91, 98 एवं राजस्व ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया के खाता संख्या 105 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम मीठालाल पिता सोराम जाति गुर्जर दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी मीठुलाल पिता सोराम शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम हदवा का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 45, 46, 91, 98 एवं राजस्व ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया के खाता संख्या 105 में प्रार्थी का नाम मीठालाल पिता सोराम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम मीठुलाल पिता सोराम दर्ज है। अतः हदवा का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 45, 46, 91, 98 एवं राजस्व ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया के खाता संख्या 105 में मीठालाल पिता सोराम के बजाय मीठुलाल पिता सोराम दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई। इसी कम में मीठुलाल पिता सोराम, तुलसीराम पिता सोराम के बयान लेखबद्ध किए गए। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार प्रार्थी का मीठुलाल पिता सोराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**–::आदेश::–**

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए हदवा का वास पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 45, 46, 91, 98 एवं राजस्व ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया के खाता संख्या 105 में मीठालाल पिता सोराम के स्थान पर मीठालाल उर्फ मीठुलाल पिता सोराम नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)**
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द